मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिये 28.23 करोड़ रुपए की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

21 दिसंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिये 'मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना'के लिये 28 करोड़ 23 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिये विभागीय भवन निर्मित होने तक गृहों का संचालन उपलब्ध राजकीय भवनों में तथा राजकीय भवनों की अनुपलब्धता की स्थिति में किराए के भवनों में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का वृहद् निर्माण कार्य किये जाने के साथ-साथ आवासीय भवनों के लिये कपड़े, बिस्तर एवं खाद्य सामग्री का क्रय किया जाएगा। इस राशि का उपयोग किराया, कर दर, रायल्टियाँ एवं सहायतार्थ अनुदान में भी किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 75-75 आवासीय क्षमता के 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों को स्थापित किये जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रम में यह वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-s-rehabilitation-home-scheme